

भारत सरकार
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय- उप नारकोटिक्स आयुक्त,.....
अफीम कृषकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

समस्त अफीम कृषकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा वर्तमान फसल वर्ष 2024-25 में अफीम एवं सी.पी.एस. के तौल को शीघ्र प्रारम्भ करने के उद्देश्य से फसल हंकवाने की प्रक्रिया को पुर्ण करने के लिए CPS Harvesting में शेष रह गए समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निरीक्षण की प्रक्रिया का इंतजार नहीं करते हुए फसल के पकने पर कृषकगण स्वयं ही सीपीएस पद्धति के काशत की प्रक्रिया के अनुसार डोडा मय डंठल के (**06 इंच डंठल की लम्बाई**) को तोड़ कर उसका वजन निर्धारित प्रारूप में इन्द्राज कर उसकी रिपोर्ट अपने गांव के मुखिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित जिला अफीम अधिकारी को प्रेषित करें।

आज्ञा से
नारकोटिक्स आयुक्त